

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या-1/श्रम वि० स्था० 4-40-01/2010 श्र०सं०-

पटना, दिनांक-

श्री शोभा कान्त मिश्रा, पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय, पूर्णिया को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या- 9784 दिनांक-7.7.2015 के आलोक में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोपालगंज के पद पर योगदान करने हेतु उनके द्वारा अपना प्रभार त्याग करने की तिथि से विरमित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
(इन्दु सिंह)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-1/श्रम वि० स्था० 4-40-01/2010 श्र०सं०-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(इन्दु सिंह)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-1/श्रम वि० स्था० 4-40-01/2010 श्र०सं०-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (बै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-
(इन्दु सिंह)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-1/श्रम वि० स्था० 4-40-01/2010 श्र०सं०-120

पटना, दिनांक-30.07.2015

प्रतिलिपि- विधि विभाग, बिहार, पटना/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ वित्त विभाग, बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/निबंधक (निगरानी), उच्च न्यायालय, पटना/निबंधक (प्रशासन), उच्च न्यायालय, पटना/सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/निदेशक, कृषि श्रमिक निदेशालय, पटना/सभी संयुक्त श्रमायुक्त/सभी उप श्रमायुक्त (सामान्य एवं कृषि श्रमिक सहित)/सभी सहायक श्रमायुक्त (सामान्य एवं कृषि श्रमिक सहित)/सभी श्रम अधीक्षक (सामान्य एवं कृषि श्रमिक सहित)/पीठासीन पदाधिकारी, औद्योगिक न्यायाधीकरण, पटना एवं मुंजफ्फरपुर/ श्री शोभा कान्त मिश्रा, पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय, पूर्णिया/सरकार पक्ष के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग से अनुरोध है कि श्रम न्यायालय, पूर्णिया में पीठासीन पदाधिकारी के होने वाले रिक्त पद पर यथाशीघ्र नियुक्ति करने की कृपा की जाए ताकि औद्योगिक विवादों के निपटारा बिना किसी व्यवधान के किया जा सके।

30-07-15
(इन्दु सिंह)
सरकार के उप सचिव